अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 21/2013

राजेश्वर पाण्डेय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा मढ़ौरा, छपरा।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
09.04.2015	यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं0 11577/2014 में पारित आदेश दिनांक 04.12.14 से संबंधित है। यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, छपरा के ज्ञापांक 745/आ0 दिनांक 11.03.13 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 11.09.12 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा राजेश्वर पाण्डेय, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–हथिसार प्रखंड मढ़ौरा की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में, निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई– 1. निर्धारित अवधि में दूकान बन्द पाई गई। 2. व्यापार स्थल से विक्रेता अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। 3. विक्रेता की दूकान से संबद्ध बी0 पी0 एल0 कूपनधारी उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया कि माह जून में 20 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति 140 रूपया लेकर किया गया है एवं माह जुलाई का कूपन फार लिया गया है। 4. विक्रेता की दूकान से संबद्ध अन्तयोदय कूपनधारी उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया कि विगत तीन माह के विरूद्ध दो माह का ही खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है तथा अन्तयोदय योजना के अन्तर्गत 25 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति कर 90 रूपया लिया जाता है। 5. विक्रेता की दूकान से संबद्ध किरासन तेल उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि विगत तीन माह के विरूद्ध दो माह के किरासन तेल की	

आपूर्ति विकेता के द्वारा की गई है एवं 2.50 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति कर प्रति लीटर 17–18 रूपया लिया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, के ज्ञापांक 3104/गो0 दिनांक 24.09.12 के द्वारा उक्त अनियमितता के लिए कारण पृच्छा किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के ज्ञापांक 3301 गो0 दिनांक 08.10.12 के द्वारा विकेता को द्वितीय कारण पृच्छा करते हुए निर्देश दिया गया कि पूर्व की निर्धारित तिथि 05.10.12 को उन्हें सभी मूल कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था लेकिन निर्धारित तिथि को विकेता न तो उपस्थित हुये और न ही उनका कारण पृच्छा ही प्राप्त हुआ। विकेता को पुनः 12.10.12 को सभी कागजातो के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। विकेता के द्वारा दिनांक 20.10.12 को अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को वकालतन नोटिस भेजा गया जिसमें अंकित किया गया कि एक साजिश के तहत 04.10.12 को खबर भेजकर विकेता के पुत्र बबलु कुमार को जो दूकान के संचालन हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि है सभी कागजात एवं पंजी के साथ बुलवाया गया तथा पैसे की मॉग की गई। इनकार करने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनपर जानलेवा हमला किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा विज्ञ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी छपरा, सारण के माननीय न्यायालय में वाद सं0 3441/2012 दाखिल किया गया। विकेता के द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित न होकर तथा अपना जवाब न देकर वकालतन नोटिस भेजने की कार्रवाई को आपति जनक पा कर विकेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विकेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विकेता के विरूद्ध एक साजिश के तहत अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई है। विकेता की दूकान से संबंधित सभी कागजात एवं पंजी अनुमंडल कार्यालय में रहने की वजह से विकेता के द्वारा अपना जवाब देना संभव नही हो पाया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता के पुत्र जो दूकान की संचालन हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि है के साथ किये गये दुर्व्यवहार एवं मारपीट तथा जानलेवा हमला

के लिये विज्ञ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सारण, छपरा के माननीय न्यायालय में वाद सं0 3441/12 दाखिल किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि विकेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले उपभोक्ता उनकी दूकान से संबद्ध नहीं थे। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता को किये गये कारण पृच्छा में न तो शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित किया गया और न ही बयान की प्रति ही उपलब्ध करायी गयी। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय में दाखिल वाद सं0 3441/12 विचाराधीन है एवं उसकी अद्यतन स्थिति से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ,पटना के द्वारा वाद संख्या 11577/2014 में दिनांक 04.12.2014 को आदेश पारित किया गया है कि मामले की सुनवाई कर जिला दण्डाधिकारी आवश्यक विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

अपीलार्थी को दो–दो बार अपना पक्ष रखने का अवसर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया, लेकिन उनके द्वारा इसका जवाब न देकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के यहां वाद दाखिल कर वकालतन नोटिस उन्हें प्रेषित किया गया। जांच के क्रम में, पाई गई अनियमितताओं के लिए किए गए कारण पृच्छा का जवाब निर्धारित समय–सीमा के अंदर न देना लगाए गए आरोप को सिद्ध करता है। अपीलार्थी के द्वारा माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के माननीय न्यायालय में दाखिल वाद सं0 3441/12 अन्य मामले से संबंधित है, जिसके लिए इस वाद में अंतिम आदेश को लंवित रखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 21.03.2013 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

09/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

09/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 227 /न्यायालय, दिनांक 10/4/15

प्रतिलिपि – SDO मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश को जिले के website पर डालने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण

10/4/15

Supply appeal judgement 21-2013 rajeshwar pandey